न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)
बइजलास जीतू कुलहरी आर.ए.एस
प्रशासन गावों के सगं अभियान 2021 केम्प कोर्ट माडपुरा

स्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 130/2018

:–

श्री प्रेमसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी माडपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

र्थी :–

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर

विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान
1. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री मूलसिंह राठौड़
2. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी :– राजकिय अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक : 01.12.2021

प्रशासन गावों के सगं अभियान 2021 केम्प कोर्ट पॉचौड़ी में दिनांक 13.12.2021 को रण प्रस्तुत हुआ। उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में दिनांक 07.08.2021 से लम्बित है उक्त रण में विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया की मौजा माडपुरा के खेत खसरा नबंर 32 रकबा 11 बीघा वादी एवं वादी के भाई लक्ष्मणसिंह, गोरधनसिंह के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का त है मूल खसरा नबंर 32 रकबा 157.11 बीघा वादी के पिता डूंगरराम पुत्र पाबुदानसिह के तेदारी का था। जिसका न्यायालय के बंटवाड़े के अनुसार तरमीम की जानी थी मगर उक्त मीम नहीं करने से उक्त आवेदन प्रस्तुत कर सही तरमीम करवाने हेतु उक्त आवेदन प्रस्तुत या गया है।

प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट माडपुरा में तहसीलदार खीवंसर से चं रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार खीवंसर ने जाचं रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवदन किया की जस्व वाद संख्या 146/87 में निर्णय दिनांक 19.05.1988 की पालना में मौजा माडपुरा के र्त नामा0 संख्या 498 की पुश्त पर अंकित नजरी तरमीमी नक्शा एवं प्रार्थी द्वारा तत्पश्चात नांक 26.06.1993 को नक्शा लठा की पटवारी हल्का से प्राप्त नकल में खसरा नबंर 32 की मीम मौके अनुसार सही है नया नक्शा लठा तैयार करते समय सहवन से खसरा नबंर 32 स्थान पर 984/32 एवं 984/32 के स्थान पर 32 दर्ज कर दिया गया । अतः मूल नामा. 8 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार वर्तमान नक्शा लठा में तरमीम शुद्धि की जानी चित है । इस प्रकरण में कोई राजहित निहित नहीं है वाद स्वीकार किया जाता है तो धोहस्ताक्षकर्ता को कोई आपति नहीं है।

इस प्रकरण के प्रार्थी एवं अप्रार्थी को प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट पुरा को मजमेआम सुना गया तथा इनके कथनों पर गहनता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के कथनों की राजस्व र्ड से ताईद होने पर प्रार्थी का उक्त आवेदन प्रार्थी का प्रा.पत्र एवं अप्रार्थी तहसीलदार सर की जाचं रिपोर्ट/अभिशषां के आधार पर स्वीकार करते हुए तहसीलदार खींवसर को आदेश दिया गया की :–

आदेश

मौजा माडपुरा के खेत खसरा नबंर 32 रकबा 31.11 बीघा व खसरा नबंर 984/32 ा 31.10 बीघा का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाकर नामान्तकरण संख्या 498 की पुश्त अंकित तरमीम अनुसार वर्तमान नक्शा लठा में तरमीम शुद्धी करने के आदेश दिये जाते है।

जीतू कुलहरी RAS
उपखण्ड अधिकारी
प्र.गा.के संग अ.,केम्प
कोर्ट माडपुरा

उक्त आदेश प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट माडपुरा में आज दिनांक : 01.12.2021 को आम सुनाया गया।

जीतू कुलहरी RAS
उपखण्ड अधिकारी
प्र.गा.के संग अ.,केम्प
कोर्ट माडपुरा

22/9

अभिभाषक पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत है अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाता है पक्षकारान दि. 1/12 को लोक अदालत में उपस्थित हो।

अध्यक्ष
लोक अदालत
खींवसर

~~उक्त प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021, केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत.................. में पेश हुआ। उपस्थित पक्षकारान को प्रकरण में राजीनामा करने हेतु समझाया गया। पक्षकारों के मध्य प्रकरण में राजीनामा हेतु सहमति नहीं हो पाई। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय में .... को पेश हो।~~
~~दिनांक ....~~

~~पीठासीन अधिकारी~~
~~प्र.ग्रा.के.अ. 2021~~
~~उपखण्ड अधिकारी~~
~~खींवसर~~

1/12

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित [illegible] बाद [illegible] किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर [illegible] किया गया पत्रावली को [illegible] नियमानुसार [illegible] दाखिल रिकॉर्ड हो।

(प्रेमसिंह)

(गोरधनसिंह)

पहचान
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
खींवसर (नागौर)